"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी 2013—माघ 29, शक 1934

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक 40/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 38 के उप-नियम (1) में, अंक "135" के स्थान पर, अंक "180" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 18th February 2013

NOTIFICATION

No. 40/F-1003117/Finance/Rules/IV/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In sub-rule (1) of rules 38, for the figure "135" the figure "180" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवती, उप-सचिव.

वित्त निर्देश 37/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010 रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1977 के स्थान पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 लागू करने का निर्णय लिया गया है । अवकाश नियम 2010 में अवकाश नियम 1977 के अप्रचलित एवं अनुपयोगी प्रावधानों को हटाकर नये शामिल प्रावधानों में उल्लेखनीय बिंदु निम्नानुसार हैं-

1. अर्जित अवकाश संचय की अधिकतम सीमा में वृद्वि करते हुए 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया गया है । यदि किसी शासकीय सेवक के खाते में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक जी-1/3/96/सी/चार, दिनांक 20.06.97 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.10.2010 की स्थिति में 01.07.2010 को अग्रिम जमा की गई कुछ अवकाश पृथक से रखा गया है तो उक्त अवकाश को दिनांक 01.10.2010 को अवकाश लेखे में जमा कर दिया जाएगा ।

2. अवकाश नियम 1977 में भारत के अन्दर अधिकतम 120 दिन तथा भारत के बाहर 240 दिन तक, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान था । उक्त प्रावधान के स्थान पर सभी प्रकरणों में, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 180 दिन निर्धारित किया गया है ।

3. अवकाश नियम 1977 में अर्द्धवैतनिक अवकाश की पात्रता प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन निर्धारित थी । उक्त प्रावधान के स्थान पर अवकाश नियम 2010 में अर्जित अवकाश के समान ही वर्ष में दो बार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को 10-10 दिन अग्रिम जमा करने का प्रावधान किया गया है । चूंकि अर्द्धवैतनिक अवकाश का अग्रिम जमा दिनांक 01.01.2011 से प्रारंभ होगा । अत: इसके में पूर्व जिस तिथि को अर्द्धवैतनिक खाते में पिछले पूर्ण वर्ष हेतु अवकाश जमा किया गया था, उस तिथि से दिनांक 31.12.2010 तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए डेढ़ दिन प्रति माह की दर से अर्द्धवैतनिक अवकाश दिनांक 01 जनवरी, 2011 को उसके खाते में जमा किया जायेगा । इसके पश्चात् उसी तिथि को नियमानुसार वर्ष 2011 के प्रथम अर्धवार्षिकी हेतु अर्द्धवैतनिक अवकाश अग्रिम जमा किया जाये ।

4. मातृत्व अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को 90 दिवस से बढ़ाकर 135 दिवस किया गया है । यदि कोई महिला शासकीय सेवक इस नियम के लागू होने की तिथि में मातृत्व अवकाश पर है तो उसे भी मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि का लाभ प्राप्त होगा ।

5. वर्तमान में पितृत्व अवकाश की सुविधा प्रथम बच्चे के लिये है, अब यह सुविधा द्वितीय बच्चे के लिए भी होगी ।

6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश निमय 2010 में अवकाश लेखे के प्रपत्र में संशोधन किया गया है । अत: सभी कार्यालय प्रमुख उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को अवकाश लेखा दिनांक 01.01.2011 की स्थिति में पूर्व शेष को अंतरित करते संशोधित प्रपत्र में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें ।

7. यह नियम छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वेबसाईट http://cgfinance.nic.in/ में 'Rules & Acts' खण्ड में उपलब्ध है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. विश्वकर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

क्र. 492/एफ 2014–71–00183/वित्त/नियम/चार अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– राज्य शासन की महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश लागू करने हेतु अवकाश नियम में संशोधन

———

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन–पोषण हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। उक्त अवकाश के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे –

(1) यह अवकाश एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी।

(3) स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी।

(4) संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन अवकाश नियम, 2010 के प्रपत्र–1अ में प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरूद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा अवकाश नियम के अंतर्गत लागू किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(6) अवकाश अवधि के लिए अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

(7) संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आवेदक को आवेदन पत्र के कालम–10 पर आवेदित अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा। यह अवकाश बच्चे के पालन–पोषण अथवा उसके विशिष्ठ आवश्यकताओं जैसे कि परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(8) संतान पालन अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा, किन्तु सामान्यतः कार्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा।

(9) अवकाश के पहले या बाद में पड़ने वाले राजपत्रित या साप्तहिक अवकाश स्वयमेव अवकाश के साथ संयोजित माने जावेंगे तथा अवकाश अवधि में पड़ने वाले ऐसे अवकाश संतान पालन अवकाश की गणना में शामिल किये जाएंगे।

(10) संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा।

(11) संतान पालन अवकाश लेखा का संधारण संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2014–71–00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

संलग्न :–

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन की अधिसूचना

(2) संतान पालन अवकाश लेखा का प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
4/10/2018

वित्त निर्देश 15/2016

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 203/एफ 2016–16–00155/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 25/05/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन।

———

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम–38 में यह प्रावधान है कि प्रसूति अवकाश इसके प्रारंभ होने की तिथि (date of commencement) से 180 दिन तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। परीक्षण हेतु प्राप्त एक प्रसूति अवकाश के प्रकरण में वित्त विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त नियम में 'प्रारंभ होने की तिथि' का आशय स्पष्ट किया जाये।

वित्त विभाग द्वारा विचारोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसूति अवकाश में प्रसूति के दिन को शामिल करते हुए गर्भावस्था की अवधि भी शामिल है, किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन के पश्चात्वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण को शामिल करने हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन किया गया है। संशोधन संबंधी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(संलग्न उपरोक्तानुसार)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 25/5/2016
संयुक्त सचिव

वित्त निर्देश 15/2022

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.536/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16.08.2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.08.2022 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

––0––

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 265/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 2.5.2022 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह मई 2022 से सातवें वेतनमान में 22% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 174% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जायेः–

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 01.08.2022	6%	28%
छठवां वेतनमान	दिनांक 01.08.2022	15%	189%

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :–

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 01.08.2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

16/8/22

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे) 16/08/2022
अवर सचिव

पृ.क्र.537/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक 16.08.2022

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश रात्रे) 16/8/22
अवर सचिव

अध्याय 12

अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

1. शासकीय सेवक की सेवारत रहते हुए मृत्यु होने पर देय अवकाश नगदीकरण-

1.1. पात्रता- (निम्न क्र में)

(1) विधवा पत्नी (एक से अधिक विधवा पत्नी जीवित होने की दशा में देय राशि उनके बीच बराबर हिस्सों में बाँट दी जायेगी),

(2) विधुर पति,

(3) मृत कर्मचारी का ज्येष्ठ पुत्र यदि वह मृत कर्मचारी के परिवार के साथ रहता हो,

(4) ज्येष्ठ अविवाहित पुत्री,

(5) मृत कर्मचारी पर आश्रित विधवा पुत्री (यदि एक से अधिक आश्रित विधवा पुत्री हों तो देय राशि उनके बीच बराबर बाँट दी जायेगी),

(6) पिता,

(7) माता ।

1.2 किन्हें पात्रता नहीं-

(1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों अथवा ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को लागू सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत यह लाभ देय है।

(2) कार्यभारित तथा नैमित्तिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

(3) ऐसे पेंशनभोगी जो अधिवार्षिकी अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्ततों कर राज्य शासन की सेवा में पुनर्नियुक्त हुए हों।

(4) ठेके पर रखे गये अथवा प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारी।

1.3. एकमुश्त भुगतान- अवकाश वेतन के समतुल्य देय राशि की अदायगी एकमुश्त चुकारे के रूप में की जायेगी।

1.4. अधिकतम सीमा- मृत्यु के दिनांक को शेष अर्जित अवकाश, परन्तु *[240 दिन] से अधिक नहीं।

1.5 अवकाश वेतन एवं भत्ते- अर्जित अवकाश पर देय समतुल्य राशि के बराबर वेतन तथा प्रचलित दर से महंगाई भत्ता । अन्य कोई भत्ते देय नहीं।

---

* अर्जित अवकाश की जमा की अधिकतम सीमा 300 दिन कर दी गई है।

अध्याय 16

ऋण एवं अग्रिम

शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले अग्रिम दो प्रकार के होते हैं- (1) ब्याज रहित, (2) ब्याज सहित।

(1) ब्याज रहित अग्रिम

(1) स्थानान्तर पर वेतन अग्रिम ।
(2) स्थानान्तर/दौरे पर यात्री अग्रिम।
(3) त्यौहार अग्रिम।
(4) गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा अग्रिम।
(5) भारत के बाहर प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम।
(6) चिकित्सा अग्रिम ।

(2) ब्याज सहित अग्रिम

(1) गृह निर्माण/भूखण्ड क्रय अथवा बना हुआ मकान क्रय करने के लिए अग्रिम।
(2) मोटरकार क्रय अग्रिम ।
(3) मोटर सायकल/स्कूटर/मोपेड क्रय अग्रिम।
(4) बाईसिकिल क्रय अग्रिम।
(5) अनाज क्रय अग्रिम।
(6) कम्प्यूटर क्रय अग्रिम।

इन प्रयोजनों के लिए शासन के कर्ज देना बन्द कर दिया है। शासकीय सेवक किसी भी वित्तीय संस्था से कर्ज प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। इसके लिए शासन ने कर्ज उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की है जो 1.6.2004 से लागू हो गई है।

1. स्थानान्तरण पर वेतन/यात्रा भत्ता अग्रिम

राशि- एक माह के वेतन के बराबर वेतन अग्रिम + रेल-बस का वास्तविक किराया। किराये की गणना में स्वयं के लिए एवं शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए, उसी दर से जिस श्रेणी से शासकीय सेवक यात्रा की पात्रता रखता है, व्यय में शामिल है घरेलू सामान का परिवहन व्यय (रेल अथवा सड़क मार्ग से)।

वसूली- वेतन अग्रिम की राशि वेतन से तीन समान मासिक किश्तों में एवं यात्रा अग्रिम का समायोजन स्थानान्तर यत्रा देयक से एक मुश्त किया जायेगा।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी- कार्यालय प्रमुख।

अन्य शर्तें- (1) पारस्परिक स्थानान्तरों के मामले में अग्रिम की पात्रता नहीं है।

[नियम 268 छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1]

2. त्योहार अग्रिम

त्योहार- राष्ट्रीय त्योहार, जैसे- 15 अगस्त/26 जनवरी, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षा-बन्धन, ईद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर, जन्माष्टमी, क्रिसमस-डे आदि।

पात्रता- समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वालों को भी पात्रता है।

राशि- रुपये 8000 से अधिक नहीं।

वसूली- दस समान मासिक किश्तों में वेतन से।

अन्य शर्तें- अग्रिम कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार दिया जाता है, बशर्ते पिछला अग्रिम बकाया न हो।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी- कार्यालय प्रमुख ।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 331/एफ/1003419/वि/नि/चार, दिनांक 19.10.2012 द्वारा संशोधित।]

3. गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम

पात्रता- सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों को।

अग्रिम- दोनों ओर की यात्रा पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि पर 4/5 भाग । जहाँ शासकीय सेवक एवं उसका परिवार पृथक्-पृथक यात्रा करना चाहता है, वहाँ अग्रिम पृथक-पृथक् स्वीकार किया जा सकता है। जहाँ अवकाश की अवधि 90 दिन से अधिक है वहाँ केवल एक ओर का ही अग्रिम स्वीकार किया जाये।

वसूली- यात्रा देयक से एकमुश्त समायोजित की जायेगी।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी- कार्यालय प्रमुख।

अन्य शर्तें- अस्थायी शासकीय सेवकों के मामले में स्थायी कर्मचारी की जमानत ।

निर्योग्यता अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सभी मामले तत्संबंधित प्रशासनिक विभाग को सहमति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। [नियम 40क]

(4) अध्ययन अवकाश

अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तें- (1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, किसी शासकीय सेवक को लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्चतर शिक्षा या विशेषीकृत प्रशिक्षण शामिल है तथा जिसका उसके कार्यक्षेत्र से सीधा और निकट संबंध है, के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) ऐसे विषय वस्तु, जिनके अध्ययन के लिये भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, भारत के बाहर के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(5) अध्ययन अवकाश ऐसे नियमित शासकीय सेवक को स्वीकृत किया जा सकेगा जो-

(एक) परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर चुका है और परिवीक्षा अवधि तथा तदर्थ रूप से की गई सेवा को शामिल करते हुये शासन के अधीन कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुका है;

(दो) अवकाश समाप्त होने के पश्चात् अपने कर्त्तव्य पर लौटने की संभावित तिथि से तीन वर्ष के भीतर अधिवार्षिकी आयु पर पहुंचने वाला न हो;

(तीन) अवकाश समाप्त होने के बाद तीन वर्षों तक शासकीय सेवा करने की वचनबद्धता हेतु एक बंधपत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा।

(3) अध्ययन अवकाश की स्वीकृति- (1) शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(4) सामान्यतः एक समय में 12 महीने का जिसमें अपवादिक मामलों को छोड़कर वृद्धि नहीं की जाएगी पूर सेवाकाल में 24 माह तक स्वीकृत किया जा सकता है।

(5) इस अवकाश को अन्य किसी प्रकार के अवकाश के साथ कुछ शर्तों के अधीन जोड़ा जा सकता है।

(6) यह अवकाश, लेखे में दर्ज नहीं किया जाता है।

(7) वेतन- उतना मिलेगा जो अवकाश पर जाने के तत्कल पूर्व प्राप्त हो रहा था।

(8) केवल महंगाई भत्ते की पात्रता होगी (अन्य भत्ते नहीं)

(9) अवकाश अवधि पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि के लिए कर्त्तव्य अवधि मानी जावेगी।

[नियम 42 से 45 तक]

समाप्त होने के दिनांक (रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

यह आदेश प्रतिवर्ष आने वाले रमजान माह के लिए लागू।

[छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 309/2000/सा.प्र.वि. दिनांक 2-12-2000 तथा क्र. एफ. 1-3/2005/1/एक, दिनांक 10-10-2005]

7. परिवार नियोजन-विशेष आकस्मिक अवकाश

(1) परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले पुरुष शासकीय सेवकों को छः दिन का विशेष अवकाश मिलने की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2323/2096/1 (3), दिनांक 13-11-59]

(2) नॉन प्यूर्परल टी.टी. (जो प्रसूति अवकाश के बाद/प्रसव के तत्काल बाद के दिनों के अलावा अन्य कभी होती है) के लिये महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश देय है। यह आदेश दिनांक 4-10-66 से प्रभावशील है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2037-सी.आर. I (ii) 66, दिनांक 4-10-66]

(3) दो या अधिक जीवित बच्चे होने पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, परन्तु ऐसी प्रसूति के बाद आपरेशन कराया जाता है, तो महिला कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1073/555/1 (3), दिनांक 19-5-70]

(4) पत्नी के परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1557-सी.आर. 207-3, दिनांक 19-5-70]

(5) पुरुष कर्मचारी को पत्नी का टी.टी. आपरेशन असफल हो जाने पर यदि पत्नी का पुनः आपरेशन किया जाता है, तो उसके पति कर्मचारी को दुबारा सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसी शल्य-क्रिया प्रायवेट नर्सिंग होम में कराई गयी हो। परन्तु इस बाबत प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक सी-3/14/86/3/1, दिनांक 5-4-1988]

(6) यदि पुरुष कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दुबारा नसबन्दी कराने पर चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः छः दिन का विशेष आकस्मिक ... दिन में रविवार, सार्वजनिक अवकाश एवं स्थानीय अवकाश सम्मिलित